प्रेस नोट

जनपद – गोण्डा

दिनांक – 19.03.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा ईद-उल-फितर के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर ईदगाह का किया गया स्थलीय निरीक्षण, धर्म गुरुओं से वार्ता कर स्थिति का जायजा लेकर सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 19.03.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस बल के साथ ईद-उल-फितर त्योहार के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर धर्म गुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों से परस्पर वार्ता कर शासन द्वारा जारी गाइड लाइनों व निर्गत आदेशों से अवगत कराया गया तथा ईद-उल-फितर त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपील की गयी। सभी धर्म गुरुओं/संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा कानून व्यवस्था में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।

महोदय द्वारा बताया गया की जनपद गोण्डा के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग कर प्राप्त आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया है । समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा शान्ति समितियों के सदस्यों तथा धर्मगुरुओं के साथ बैठकें कर शान्ति व्यवस्था में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई है । रमजान/ईद के दौरान पूर्व मे हुई घटनाओं की समीक्षा कर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। बाजारों में ईद-उल-फितर के दौरान खरीददारी के मध्य विशेष सतर्कता रखी जा रही है जिसके लिए पुलिस बल का समुचित व्यवस्थापन, डॉग स्क्वॉड, स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा नजर रखी जा रही है, तथा अग्निशमन की व्यवस्था की गयी है । सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी एवं महिला पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीमों को लगाया गया है। ईद-उल-फितर की नमाज हेतु सम्बन्धित स्थलों पर पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों की नामवार ड्यूटी लगाई गयी है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं आवश्यक्तानुरूप ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जायेगी । साथ ही साथ सभी से अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार के आपसी सौहार्द खराब करने वाले वीडियो पोस्ट/शेयर करने से बचे, सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेण्टर की टीम द्वारा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि) की निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट/शेयर करने वालों के विरुद्ध गोंडा पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.03.2026
जनपद गोण्डा।

थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 06 माह के लिए किया गया था जिलाबदर-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा 06 माह हेतु जिला बदर किये गये अभियुक्त शेषनरायण तिवारी पुत्र बृज बहादुर तिवारी निवासी ग्राम गभौरा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को उसके घर ग्राम गभौरा से गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 59/2026, धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.03.2026 को थाना उमरी बेगमगंज पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे। सूचना प्राप्त हुई कि एक जिला बदर अपराधी अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अभियुक्त शेषनरायण तिवारी को ग्राम गभौरा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 के तहत श्रीमान जिलाधिकारी गोण्डा के आदेश पर दिनांक 04.10.2025 से 06 माह के लिए जनपद सीमा से बाहर रहने हेतु जिला बदर किया गया था। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0- 59/2026, धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शेषनरायण तिवारी पुत्र बृज बहादुर तिवारी निवासी गभौरा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 59/2026, धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह मय हमराह
02. कां0 ऋषिकेश कुमार
03. कां0 बलराम सिंह

मीडिया सेल गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया तार, एक ई-रिक्शा व रु0 14,600/- नगद बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व प्रभारी क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/26 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तगण 1. विष्णु पुत्र स्व0 रामदयाल 2. मो0 उमैर पुत्र मो0 निजाम 3. आबिद उर्फ छोटू पुत्र जाकिर 4. समीर पुत्र अली अकबर को महादेवा क्रासिंग ओवरब्रिज के नीचे रोड पर थाना को0 नगर गोण्डा से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद सफेद रंग का ई-रिक्शा व उस पर लदा हुआ चोरी का एल्युमिनियम तार टुकड़ा वजन करीब 2 कुंण्टल 15 किलोग्राम व रु014600/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 18.03.2026 को वादी श्री विनोद कुमार गौतम अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र चन्दवतपुर, गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि दिनांक 15.02.2026 को ग्राम सभा जगदीशपुर (निकट मंगलम गैस ऐजेन्सी जगदीशपुर गोण्डा) में 33 के0वी0 सुभागपुर लाइन के दो स्पैन लगभग 1000 मीटर तार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 19.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर चोरों 1. विष्णु पुत्र स्व0 रामदयाल 2. मो0 उमैर पुत्र मो0 निजाम 3. आबिद उर्फ छोटू पुत्र जाकिर 4. समीर पुत्र अली अकबर को महादेवा क्रासिंग ओवरब्रिज के नीचे रोड पर थाना को0 नगर गोण्डा से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद सफेद रंग का ई-रिक्शा व उस पर लदा हुआ चोरी का एल्युमिनियम तार टुकड़ा वजन करीब 2 कुंण्टल 15 किलोग्राम व रु014600/- नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विष्णु पुत्र स्व0 रामदयाल उम्र 19 वर्ष नि0 कांशीराम कालोनी इमामाबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
2. मो0 उमैर पुत्र मो0 निजाम उम्र 22 वर्ष नि0 नई बस्ती सुभाषनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
3. आबिद उर्फ छोटू पुत्र जाकिर उम्र 25 वर्ष नि0 महराजगंज मो0 कसगढ़ थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
4. समीर पुत्र अली अकबर उम्र 21 वर्ष नि0 मेवतियान नूरी मस्जिद के पास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 239/26 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 07 बोरियो में एल्युमिनियम तार टुकड़ा वजन करीब 2 कुण्टल 15 किलोग्राम
02. 14,600 रु0 नगद
03. घटना में प्रयुक्त एक अदद सफेद रंग का ई-रिक्शा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शुभांशु पाठक मय हमराह
02. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव
03. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा
04. हे0का0 सभाजीत
05. हे0का0 दीपक कुमार नायक
06. का0 विनय प्रताप
07. का0 देव कुमार
08. का0 दीपक कुमार
09. का0 दीपक सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।